कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी सर्वश्री बी0 एन0 शुक्ला, कमरा नं0-70, तृतीय तल, हीर पैलेस सिनेमा के सामने,

128, क्लाइड हाउस, दि माल, कानपुर।

प्रार्थना-पत्र संख्या व

029 / 14, 07.05.2014

दिनांक

प्रार्थी की ओर से **श्री बी0 एन0 शुक्ला।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री बी0 एन0 शुक्ला, कमरा नं0-70, तृतीय तल, हीर पैलेस सिनेमा के सामने, 128, क्लाइड हाउस, दि माल, कानपुर द्वारा दिनांक 07.05.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न 02 प्रश्न पूछे गये हैं:-

- 1. उत्तर प्रदेश के राइस मिलर्स द्वारा चावल का निर्माण कर उसकी बिक्री 'फार्म एच ' के विरुद्ध प्रान्त के बाहर की जाती है अर्थात इस चावल का निर्यात प्रान्त के बाहर के निर्यातकों के माध्यम से किया जाता है। कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 संख्या-1169 / 80-2-2012-02 (12) / 2000 लखनऊ, दिनांक 07 नवम्बर, 2012 से चावल मिलों को छूट प्राप्त है, जैसा कि इस शासनादेश में लिखा गया है, की प्रति संलग्न है। कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि इस प्रकार के संव्यवहार में धान की किसानों / अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर क्या धान पर वैट देना पड़ेगा अथवा नहीं।
- 2. यह कि 'फार्म एच ' तथा बिल ऑफ लेडिंग के दे देने पर धान की खरीद पर दिया जाने वाला वैट वापस होगा अथवा नहीं।
- 2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री बी0 एन0 शुक्ला उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रदेश में चावल निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक चावल निर्यात नीति कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 द्वारा दिनांक 07.11.2012 को जारी की गई है। इस नीति के पैरा-ग में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-247, दिनांक 24.02.2010 का उल्लेख है। इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन चावल के उत्पादक एवं निर्यातक व्यापारी द्वारा धान के क्रय किये जाने पर कर की देयता नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि प्रदेश के निर्माताओं द्वारा किसानों से जो सीधे खरीद की गई है तथा जिसका निर्यात निर्यातकों के माध्यम से किया गया है उस धान पर कर जमा करने की माँग की जा रही है। उनके द्वारा विज्ञप्ति संख्या-247, दिनांक 24.02.2010 में संशोधन करने का अनुरोध किया गया।
- 3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा पत्र संख्या-285, दिनांक 07.06.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-5 के अन्तर्गत किसी पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यापारी से खरीद किये जाने पर क्रेता व्यापारी की कर की देयता आकृष्ट होती है। अत: राइस मिलर्स द्वारा यदि अपंजीकृत व्यापारियों / किसानों से धान की खरीद

सर्वश्री बी0 एन0 शुक्ला / प्रा0 पत्र सं0-029 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-2

की जाती है तो उस पर नियमानुसार क्रेता व्यापारी को कर जमा करना होगा।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी का प्रथम प्रश्न कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या-1169, दिनांक 07.11.2012 के सन्दर्भ में धान के क्रय पर करदेयता से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-247, दिनांक 24.02.2010 को भी सन्दर्भित किया गया है। इस विज्ञप्ति में पंजीकृत व्यापारियों से खरीद किये जाने की स्थिति में करमुक्ति के लिए कितपय शर्तों के साथ छूट दी गयी है। इन शर्तों में क्रमांक-2 पर अंकित शर्त से स्पष्ट है कि कर की यह छूट विक्रेता व्यापारी को उस स्थिति में देय है जब वह किमश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित फार्म निर्माता निर्यातक से प्राप्त करके प्रस्तुत करे। इसके लिए किमश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा फार्म-ई निर्धारित किया गया है, जिसके प्रस्तुत करने पर विक्रेता द्वारा कोई कर देय नहीं होगा और इस प्रकार निर्माता निर्यातक द्वारा की गयी खरीद करमुक्त होगी। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यापारियों से खरीद करने पर क्रेता व्यापारी पर करदेयता आकृष्ट होती है। ऐसी स्थिति में छूट के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं है। अतः धान की किसानों / अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर करदेयता होनी चाहिए।

प्रार्थी द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न आई0टी0सी0 से सम्बन्धित है। उनके द्वारा पूछा गया है कि बिल ऑफ लेडिंग तथा 'फार्म एच ' देने पर धान के क्रय पर दिया गया कर वापस होगा या नहीं। आई0टी0सी0 से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों से आच्छादित नहीं है। अत: इस प्रश्न का कोई उत्तर देय नहीं है।

- 5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल किमश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-5 के प्राविधान निम्न भॉति हैं :-
 - (1) Every dealer, who, in the course of business, makes purchase of any taxable -
 - (i) goods other than non-vat goods from a person other than a registered dealer; or
 - (ii) non-vat goods, the earlier sale or purchase of which has not suffered levy of tax either under the provisions of the erstwhile Act or under the provisions of this Act, (w.e.f.01.01.2008)

shall be liable to pay tax levied on the turnover of purchase of such taxable goods except non-vat goods or turnover of purchase of non-vat goods or both, as the case may be. (w.e.f.01.01.2008)

(2) Tax on the turnover of purchase of taxable goods referred to in clause (i) or clause (ii) of sub-section (1) shall be levied at the same rate at which turnover of sale of such goods is liable

सर्वश्री बी0 एन0 शुक्ला / प्रा0 पत्र सं0-029 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-3

to tax in accordance with the provisions of section 4.

उक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि अपंजीकृत से क्रय किये जाने की दशा में खरीद पर कर की देयता होगी। शासन की विज्ञप्ति संख्या-247, दिनांक 24.02.2010 के प्राविधान निम्न भॉति हैं:-

"In exerise of the powers under clause (c) of section 7 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that no tax shall be payable under the said Act, with effect from April 01, 2010 on the turnover of direct sale to or direct purchase by manufacturer-exporter of any raw materials, processing materials, consumable stors, spare parts, accessories, components, lubricants, fuel other than petrol and diesel and packing materials for use in the manufacture of goods by him or in the packing of goods manufactured by him subject to the following conditions:

Conditions

- (i) the above facilities will be available only when the manufactured goods is exported out of India.
- (ii) the benefit of this facility shall be available to the selling dealer on the submission of declaration, in the Form prescribed by the Commissioner, obtained from the manufacturer exporter;
- (iii) if the manufactured goods are not exported out of India, the manufacturer-exporter claiming the benefit of this notification, shall be liable to pay tax, according to the provisions of the aforesaid Act and also interest from the date of purchase of such goods and if such manufactured goods are exported out of India and also sold otherwise or disposed off otherwise than by way of sale, then the purchase of such goods liable to tax shall be determined in accordance with the ratio of quantity of exported goods and goods otherwise sold or disposed off otherwise than by way of sale.
- (iv) the manufacturer-exporter, for the export made during a tax period, shall submit the proof of export e.g. Form-H, Bill of lading, Airway bill etc. within three months of the end of tax period;
- (v) if the manufacturer-exporter is found having misused the facility under this notification, he shall be liable for penal proceedings under section 54 of the Act;
- (vi) in case of misuse of the facility under this notification prosecution proceedings may be undertaken under the relevant section of the Indian Penal Code. "

सर्वश्री बी0 एन0 शुक्ला / प्रा0 पत्र सं0-029 / 14 / धारा-59 / पृष्ठ-4

उक्त नोटिफिकेशन के क्रमांक-2 पर अंकित शर्त से स्पष्ट है कि यह सुविधा विक्रेता व्यापारी को निर्धारित फार्म दाखिल करने पर मिलेगी। इस सम्बन्ध में फार्म-ई निर्धारित किया गया है। इस विज्ञप्ति से अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद के सम्बन्ध में करमुक्ति का कोई प्राविधान नहीं है। अत: उक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में किसानों/ अपंजीकृत व्यापारियों से की गयी खरीद पर क्रय कर की देयता होगी।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान निम्न प्रकार हैं :-

- " यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-
- (क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है. या
- (ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या
 - (ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है : या
 - (घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या
 - (ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधानों से, प्रार्थी द्वारा क्रमांक-02 पर पूछा गया कर की वापसी अथवा आई0टी0सी0 से सम्बन्धित प्रश्न, आच्छादित नहीं हैं। अत: इस सम्बन्ध में कोई उत्तर देय नहीं है।

- 6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
- 7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी , कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाए।

दिनांक : 24 जुलाई, 2014 ह0 / 24.07.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।